कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 703
अन्तर्गत धारा 111--128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 28-06-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री मीरं पत्नि शंकरलाल भील

जाति भील उम्र बालक नि0 ठलतपुरा तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत खेमपुर दिनांक 28-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा खेमपुर पंचायत समिति दोवड़ा में स्थित खाता संख्या 299 पर आराजी नं0 295 कुल —— बीघा 10 बिस्वा किता 1 योग रकबा 10 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लड़ाई झगड़ा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। रिस्त पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी लालजी पि. झूला नि0 खेमपुर ने भी पत्थरगढ़ी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम खेमपुर के खसरा नं0 299 रकबा —— बीघा 5 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 5 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा खेमपुर में स्थित खाता संख्या 299 पर आराजी नं0 295 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 10 बिस्वा की पत्थर गढ़ी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा खेमपुर में स्थित खाता संख्या 299 पर आराजी नं0 295 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 10 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक हथाई के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढ़ी शुल्क रू0 750/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढ़ी को जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर